डॉटेड लैंड्स

प्रलिम्सि के लयि:

डॉटेड लैंड्स, [सवामतिव योजना (SVAMITVA)](), [परविश पोर्टल (PARIVESH)]() [भूमि संवाद (Bhumi Samvaad)]()

मेन्स के लयि :

भू-सवामतिव ववािदों से संबंधति मुद्दे और डॉटेड लैंड्स की अवधारणा, भूमि अभलिखों के डजिटिलीकरण का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **आंध्र प्रदेश सरकार** ने नषिदि्ध सूची से **"डॉटेड लैंड्स" को नरि्गत** करने के लयि एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है, जसिसे कसिानों को इन ववािदति भूमि पर अपने पूर्ण अधकिार का प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त हुई है।

- इस कदम का उद्देश्य **सवामतिव ववािदों का समाधान करना** और पात्र कसिानों को **भू-सवामतिव के सपषट दसतावेज़** प्रदान करना है।

डॉटेड लैंड्स क्या है?

- **परचिय:**
  - डॉटेड लैंड्स **ऐसे ववािदति भूमि कषेत्र हैं जनिके कोई सपषट भू-सवामतिव दसतावेज़ उपलब्ध नहीं हैं।**
    - आमतौर पर यह ऐसे ववािदति भू कषेत्र जसि पर एक या एक से अधकि व्यकतयिों के साथ-साथ सरकार का राजसव वभाग भू-सवामतिव का दावा करता है।
  - इन भूमि कषेत्रों को "डॉटेड लैंड्स" के रूप में जाना जाने लगा क्योंकि ब्रटिशि काल के दौरान जब भू-सवामतिव सर्वेकषण और भूमि अभलिखों का आकलन कयिा गया था, तो स्थानीय राजसव अधकिारयिों को सरकारी सवामतिव और नजिी सवामतिव वाली भूमि की पहचान करने का काम सौंपा गया था। वे **इन असपषट भू सवामतिव के कषेत्रों, जनिमें एक से अधकि व्यकति सवामतिव का दावा करते हैं या यदि सवामतिव सपषट रूप से सथापति नहीं कयिा जा सकता है, को दरशाने के लयि दसतावेज़ में सवामतिव कॉलम में डॉट या बदि से इंगति करते थे।**
- **सवामतिव ववािद का कारण:**
  - सवामतिव ववािद सामान्यतः तब उत्पन्न होते हैं जब **भू-सवामी वसीयत के माध्यम से सपषट वरिासत सथापति करने में वफिल** होते हैं या जब **एक ही भूमि पर कई उत्तराधकिारी दावा** करते हैं।
  - कुछ मामलों में सरकार भूमि को **राज्य के सवामतिव** के रूप में पहचानती है लेकनि उस पर नजिी पारटयिों द्वारा कब्ज़ा कर लयिा जाता है।
- **डॉटेड लैंड के मुद्दे को हल करने हेतु सरकार की पहल:**
  - आंध्र प्रदेश सरकार ने **12 वर्षों से अधकि समय से डॉटेड लैंड पर खेती करने वाले कसिानों को भूमि का अधकिार** देने के लयि एक वधियक पेश कयिा।
    - भूमि रजसि्टरों से बदिुओं और प्रवषि्टयिों को हटाने से लगभग 97,000 कसिानों को सपषट भूमि सवामतिव दसतावेज़ उपलब्ध होंगे।
  - भू-सवामी/कसिान **भूमि का उपयोग ऋण प्राप्त करने के लयि संपार्श्वकि के रूप** में कर सकते हैं, शहरी कषेत्रों में, डॉटेड लैंड को अवैध रूप से बेचा गया है और घरों का नरि्माण कयिा गया है, जसि पर कर नहीं लगाया जा सकता है। इसका उपयोग **फसल एवं वति्तीय सहायता के लयि आवेदन करने, भूमि बेचने या उन्हें परवािर के सदस्यों को उपहार में देने हेतु कर सकते हैं।**
  - आंध्र प्रदेश सरकार की **"जगन्नाथ शाश्वत भू हक्कू भू रक्षा योजना"** के माध्यम से इस भूमि का **डजिटिल रकिॉर्ड** तैयार कयिा जाएगा ताकि **भवषि्य में कोई भी रकिॉर्ड के साथ छेड़छाड़ न कर** सके।
    - इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार ने **पहले चरण में 2,000 गाँवों में कसिानों को 7,92,238 स्थायी शीर्षक वलिेख** प्रदान कयि हैं।
- **सरकार की कार्यवाही के पीछे तरक:**
  - लैंड सीलगि के मुख्य आयुक्त को **डॉटेड लैंड ववािदों को हल करने के लयि 1 लाख से अधकि आवेदन प्राप्त हुए** जो समाधान की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।
  - शहरी कषेत्रों को अवैध बकि्री और डॉटेड लैंड पर नरि्माण से संबंधति मुद्दों का सामना करना पड़ा जसिके परणािमस्वरूप **सरकार को कर चोरी**

तथा राजस्व की हानि का सामना करना पड़ा।**
    - 2,06,171 एकड़ का पंजीकरण मूल्य 8,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि भूमि का मूल्य 20,000 करोड़ रुपए से अधिक है।

भूमि विवादों को कम करने हेतु डिजिटल भूमि अभिलेखों के लिये भारत में क्या पहलें हैं?

- **स्वामित्व:**
    - [स्वामित्व](#) **पंचायती राज मंत्रालय** की एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जो [ड्रोन तकनीक](#) और **निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशन (CORS)** का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि पार्सल का मानचित्रण करती है।
    - वर्ष 2020 से 2024 तक चार वर्षों की अवधि में देश भर में चरणबद्ध तरीके से मानचित्रण किया जाएगा।
- **परिवेश पोर्टल:**
    - [परिवेश](#) एक वेब-आधारित एप्लीकेशन है जिसे केंद्र, राज्य और ज़िला स्तर के अधिकारियों से **पर्यावरण, वन, वन्यजीव एवं तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ)** की अनुमति प्राप्त करने के लिये प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावों की **ऑनलाइन प्रस्तुति तथा निगरानी के लिये** विकसित किया गया है।
- **भूमि संवाद:**
    - [भूमि संवाद](#) डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला है।
    - यह देश भर में एक उपयुक्त एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (ILIMS) विकसित करने के लिये विभिन्न राज्यों में **भूमि अभिलेखों के क्षेत्र में एकरूपता लाने का प्रयास करता है, जिसमें विभिन्न राज्य राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं, जो कि** प्रासंगिक और उपयुक्त हों, को भी जोड़ा जा सकता है।
- **राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली:**
    - यह मौजूदा **मैनुअल पंजीकरण प्रणाली से भूमि की बिक्री-खरीद और हस्तांतरण में सभी लेन-देन के ऑनलाइन पंजीकरण** के लिये एक बड़ा बदलाव है।
    - यह राष्ट्रीय एकता हेतु एक बड़ा कदम है और **'वन नेशन वन सॉफ्टवेयर'** की दिशा में उठाया गया है।
- **अद्वितीय भूमि पार्सल पहचान संख्या:**
    - **"भूमि के लिये आधार"** के रूप में वर्णित होने के नाते **विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या एक ऐसी संख्या है** जो भूमि के प्रत्येक सर्वेक्षण पार्सल की विशिष्ट रूप से पहचान करेगी और भूमि धोखाधड़ी को रोकेगी, विशेष रूप से ग्रामीण भारत के भीतरी इलाकों में जहाँ भूमि रिकॉर्ड पुराने हैं और अक्सर विवादित होते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? (2019)

(a) हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर।
(b) भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था।
(c) इसके परिणामस्वरूप नकदी फसलों की खेती, कृषि का प्रमुख रूप बन गई।
(d) भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी।

उत्तर: (b)

प्रश्न. कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिये। भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिये उत्तरदायी कारकों को चिह्नित कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2016)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/dotted-lands